अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1) (बी) के अन्तर्गत मैनुवल

क0सं0	बिन्दु	विभागीय सूचनायें
1,	संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य	1. पिछड़े वर्गो–जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियॉ सम्मिलित हैं, के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं हेतु शोध तथा सर्वेक्षण कार्य करना। 2. विभिन्न विकास योजनाओं के परिकल्पन, नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया–विधि का विकास करना। 3. पिछड़े वर्गो के कल्याण के कार्य पर लगे कार्मिकों–(अधिकारियों तथा कर्मचारियों) को विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार करने व उनके सुचारू क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित करना। 4. पिछड़े वर्गो के कल्याण हेतु चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का अध्ययन मूल्यांकन करना तथा उनमें संशोधन/परिवर्धन तथा सुधार की सिफारिश करना। 5. पिछड़े वर्गो के कल्याण/विकास के संबंध में बहुआयामी सामग्री का संचय तथा प्रकाशन करना। 6. आवश्यकता होने पर पिछड़े वर्गो के विकास के लिए व्यवहारिक योजनायें तैयार करना।